01 लाख करोड़ रुपये का निवेश करेगी केंद्र सरकार अगले पांच वर्षों में देश के विभिन्न क्षेत्रों में सुरंगों के निर्माण पर। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाकों को जोड़ने के लिए सरकार यह कदम उठाने जा रही है।

न्यूज गैलरी

लालू को जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची सीबीआइ

रांची : सुप्रीम कोर्ट ने चारा घोटाले में सीबीआइ की याचिका पर राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सीबीआइ ने देवघर कोषागार मामले में झारखंड हाई कोर्ट से लालू प्रसाद को मिली जमानत के खिलाफ अपील दाखिल की है। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने शुक्रवार को सीबीआइ की याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में लालू प्रसाद को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट 12 जुलाई 2019 को देवघर कोषागार मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद को जमानत दी थी। अदालत ने लालू प्रसाद को आधी सजा पूरी होने पर जमानत की सुविधा प्रदान की थी। सीबीआइ की विशेष अदालत ने देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई है। सजा की आधी अवधि जेल में बिताने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई थी। (राब्यू)

कांग्रेस के घोषणापत्र के खिलाफ सुनवाई दो हफ्ते टली

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के 2019 के लोकसभा चुनाव के घोषणापत्र के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई दो हफ्ते तक टाल दी। याचिका में कांग्रेस के घोषणापत्र को अनुचित और आदर्श आचार संहिता के खिलाफ घोषित करने की मांग की गई है। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया गया कि एक सहयाचिकर्ता को मामले में खुद जिरह करने की रजिस्ट्री ने अनुमति नहीं दी है। इसके बाद पीठ ने मामले पर दो हफ्ते बाद सुनवाई करने की बात कही। आदर्श कुमार अग्रवाल और डॉ. सीमा जैन ने यह याचिका दायर की है। दोनों ने कांग्रेस के घोषणापत्र को अनुचित और आचार संहिता के खिलाफ घोषित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। (प्रेट्र)

सताए अधिकारी को कैप्टन पद पर प्रोन्नत करने का आदेश

नई दिल्ली : सीनियर वाइस एडमिरल द्वारा कथित रूप से सताए गए परमाणु पनडुब्बी विशेषज्ञ अधिकारी एसएस लूथरा को मनमाना तरीका अपनाकर प्रोन्नत नहीं करने के लिए सशस्त्र बल ट्रिब्यूनल ने नौसेना की तीखी आलोचना की है। ट्रिब्यूनल ने पीड़ित अधिकारी को सेवानिवृत्ति के वर्षों बाद कैप्टन पद पर प्रोन्नत करने का आदेश दिया है। अधिवक्ता अंकुर छिब्बर ने बताया कि ऑफिसर कमांडर एसएस लूथरा ऐसे चुनिंदा अधिकारियों में शामिल थे जिन्होंने आइएनएस अरिहंत और आइएनएस चक्र के परमाणु रिएक्टरों को संभालने का रूस में प्रशिक्षण प्राप्त किया था। लेकिन भेदभाव की वजह से उन्हें नौसेना छोड़नी पड़ी क्योंकि सीनियर वाइस एडमिरल अपने दामाद को प्रोन्नत करना चाहते थे। ऐसा दूसरी बार है जब सशस्त्र बल ट्रिब्यूनल ने लूथरा के पक्ष में फैसला सुनाया है। 2017 में ट्रिब्यूनल ने तब लूथरा के लिए नया प्रमोशन बोर्ड बनाने के लिए कहा था जब उसने पाया कि परमाणु पनडुब्बियों पर काम करने वाले अधिकारियों के प्रभारी सीनियर वाइस एडमिरल ने व्यवस्था में इस तरह हेराफेरी की थी जिससे सिर्फ उनके दामाद को ही प्रोन्नति मिली जबकि अन्य की अनदेखी की गई। (एएनआइ)

सज्जन कुमार को अंतरिम जमानत देने से इन्कार

नई दिल्ली : सिख विरोधी दंगा मामले में उम्रकैद की सजा भुगत रहे पूर्व कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अंतरिम जमानत देने से इन्कार कर दिया। सज्जन के वकील ने उनकी इलाज की जरूरत बताते हुए अंतरिम जमानत दिए जाने की अपील की थी। लेकिन प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने अंतरिम राहत देने से मना करते हुए अगली सुनवाई होली की छुट्टी के बाद तय कर दी। मालूम हो कि 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान राज नगर में एक परिवार के पांच लोगों की हत्या के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने सज्जन को 17 दिसंबर, 2018 को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। (एएनआइ)

दागियों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का होगा पालन : चुनाव आयोग

अंकुश की तैयारी ▶ आपराधिक रिकार्ड वाले उम्मीदवारों संबंधी नियमों में जल्द बदलाव होगा

कहा, कोर्ट के आदेश से राजनीति में अपराधीकरण रोकने में मिलेगी मदद

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने कहा कि वह राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का खुले दिल से स्वागत करता है। दागी नेताओं को चुनाव लड़ने से रोकने के संबंध में कहा, उम्मीदवारों के आपराधिक रिकार्ड पर जल्द मौजूदा नियमों में बदलाव किए जाएंगे। आयोग ने आश्वासन दिया कि वह चुनावी लोकतंत्र में सुधार के लिए नए नैतिक मापदंड तैयार करेगा।

चुनाव आयोग ने शुक्रवार को कहा कि वह चुनावी लोकतंत्र की बेहतरी के लिए नए नैतिक मापदंड तय करने में कसर बाकी नहीं रखेगा और ऐसे कदम उठाएगा जो दूरगामी होंगे। आयोग ने कहा कि वह कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए मतदाताओं की जानकारी के लिए

चुनाव आयोग का दफ्तर। फाइल

लंबित मामले में लड़ सकते हैं चुनाव

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-आठ किसी अपराध में अदालत द्वारा दोषी करार दिए गए नेताओं को चुनाव लड़ने से रोकती है, लेकिन ऐसे नेता जिन पर सिर्फ मुकदमा चल रहा है, वे चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। भले ही उन पर लगे आरोप गंभीर क्यों न हों। इस अधिनियम की धारा 8(3) के मुताबिक किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी विधायी सदस्य को यदि दो वर्ष से अधिक के कारावास की सजा सुनाई जाती है, तो उसे दोषी ठहराए जाने की तिथि से अयोग्य माना जाएगा। ऐसे लोग सजा पूरी होने की तारीख से छह वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकते।

उम्मीदवारों और संबंधित दलों के सदस्यों पर दर्ज आपराधिक मामलों के प्रचार को सुनिश्चित करने के लिए 10 अक्टूबर 2018 के निर्देशों में बदलाव करेगा। आयोग ने बयान जारी कर कहा कि मतदाताओं को ऐसे प्रत्याशियों और उनके राजनीतिक दलों की ओर से दी जाने वाली जानकारियों के संबंध में नई नियमावली लागू करेगा। दरअसल, अक्टूबर, 2018 के दिशा-निर्देशों को नवंबर, 2018 से सभी चुनाव में लागू किया जा रहा है। कोर्ट ने दागी उम्मीदवारों के आपराधिक आंकड़ों की जानकारी चुनाव आयोग को देने का निर्देश दिया था।अक्टूबर 2018 में चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के लिए आदेश दिया था कि वो अपने ऊपर दर्ज आपराधिक मामले का विज्ञापन चुनाव के दौरान कम से कम तीन बार टेलीविजन और अखबारों में प्रकाशित और प्रसारित कराएं। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया था कि उम्मीदवारों को अपने आपराधिक मामले को टीवी व अखबारों में विज्ञापन देने का खर्च स्वयं वहन करना होगा क्योंकि यह चुनावी खर्च की श्रेणी में आता है।

कोर्ट ने दलों को दिए थे निर्देश : भारतीय राजनीति के अपराधीकरण को खत्म करने के लिए गत गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए सभी दलों से कहा था कि वह अपनी वेबसाइटों, अखबारों और सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अपने उम्मीदवारों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का ब्योरा दें। साथ ही यह भी बताएं कि आपराधिक रिकार्ड वाले उम्मीदवार को पार्टी ने क्यों चुना और बिना आपराधिक रिकार्ड वाले किसी पार्टी सदस्य को टिकट क्यों नहीं दिया।

कोयला घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में एसपीपी बने रहेंगे चीमा

- सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ईडी की तरफ से सुनवाई में शामिल होने पर हुए राजी
- शीर्ष अदालत ने इस मामले में चीमा को 2014 में एसपीपी नियुक्त किया था

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने कोयला घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में वरिष्ठ वकील आरएस चीमा से विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) बने रहने को कहा है। वह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की तरफ से सुनवाई में शामिल होंगे। कोयला घोटाला कोल ब्लॉक आवंटन में अनियमितताओं से जुड़ा है।

शीर्ष अदालत चीमा के स्थान पर किसी अन्य वकील को एसपीपी नियुक्त करने को कोशिशों में जुटी है। चीमा ने ईडी की सुनवाई से खुद को अलग करने की अपील की है।

प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने अपने आदेश में कहा, 'हमारे अनुरोध पर, वरिष्ठ वकील/विशेष लोक अभियोजक आरएस चीमा कोयला घोटाले से जड़े मनी लांड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 के तहत मनी लांड्रिंग मामले में सुनवाई के लिए 30 जून तक विशेष लोक अभियोजक बने रहने पर राजी हो गए हैं।'

इसके साथ ही पीठ ने आरएस चीमा की याचिका को सुनवाई के लिए मई के पहले हफ्ते में सूचीबद्ध कर दिया। चीमा ने शीर्ष अदालत को बताया था कि वह कोयला घोटाले में सीबीआइ की तरफ से एसपीपी बने रहने को तो तैयार हैं, लेकिन ईडी की तरफ से नहीं। उन्होंने इसके लिए वकीलों की कमी का हवाला दिया था, जो

सुप्रीम कोर्ट। फाइल

इस मामले में उनकी सहायता कर सकें। शीर्ष अदालत ने इस मामले में आरएस चीमा को वर्ष 2014 में एसपीपी नियुक्त किया था।

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एसपीपी के लिए वकील का नाम सुझाने के लिए 10 फरवरी तक का वक्त दिया था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने का सुझाव दिया था, जिसे पीठ ने नहीं माना।

गरीब सवर्णों को सामाजिक योजनाओं में भी मिलेगी जगह

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- आरक्षण के बाद उनके विकास को लेकर भी शुरू हुआ मंथन
- ईडब्ल्यूएस के लिए चलाई जा रही योजनाओं का बदल सकता है स्वरूप

गरीब सवर्णों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने नए सिरे मंथन शुरू किया है। इसके तहत सामाजिक विकास से जुड़ी योजनाओं में उन्हें जगह दी जा सकती है। फिलहाल जिन योजनाओं को लेकर चर्चा शुरू हुई है, उनमें उच्च शिक्षा और कौशल विकास को लेकर चलाई जा रही योजनाएं शामिल हैं। इनमें मेधावी बच्चों को छात्रवृत्ति या वित्तीय मदद दी जाती है। अभी इन योजनाओं में ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) और ईबीसी (आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग) के पात्र लोगों को ही लाभ दिया जाता है।

गरीब सवर्णों को हालांकि इससे पहले सरकार एक बड़ी खुशखबरी दे सकती है। जिसके तहत उन्हें आरक्षण के तहत उम्र में छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। फिलहाल इस पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तेजी से काम कर रहा है। पिछले दिनों यह मुद्दा संसद के बजट सत्र में भी उठा था। इसके बाद ही यह कदम उठाने की तैयारी है।

मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अब सामाजिक विकास से जुड़ी योजनाओं को विस्तार देकर ईबीसी की जगह ईडब्ल्यूएस को शामिल किया जा सकता है। ईबीसी के दायरे में अभी अधिकतम ढाई साल तक की सालाना आय वर्ग के लोग ही आते हैं, जबकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत सामान्य वर्ग को मिले आरक्षण के दायरे में आठ लाख सलाना आय वर्ग को रखा गया है। यही वजह है कि इसके दायरे को बढ़ाने की मंजूरी का भी प्रस्ताव है।

फिलहाल अभी आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग को जिन योजनाओं में जगह दी गई है, उनमें डॉ. आंबेडकर शिक्षा ऋण सब्सिडी योजना, आंबेडकर मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना और कौशल विकास के लिए सहायता जैसी योजनाएं शामिल हैं। इनमें डॉ. आंबेडकर शिक्षा ऋण सब्सिडी योजना के तहत विदेश में उच्च शिक्षा के लिए बैंक से लिए गए कर्ज के ब्याज को सरकार अदा करती है।

एससी-एसटी आरक्षण पर अध्यादेश लाए सरकार : पासवान

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि नौकरियों में एससी-एसटी समुदाय के लिए आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को दुरुस्त करने के लिए सरकार एक अध्यादेश लाए। साथ ही न्यायिक समीक्षा से अलग रखने के लिए सरकार ऐसे सभी मुद्दों को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करे। पासवान ने कहा कि सरकार शीर्ष कोर्ट के फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर करने पर विचार कर रही है।

पासवान ने कहा, 'समीक्षा याचिका दायर की जाएगी, लेकिन मुद्दा फिर कोर्ट में जाएगा। यह देखना चाहिए कि इसमें सफलता मिलेगी या नहीं, इसलिए मेरे विचार से आसान रास्ता अध्यादेश जारी करने के बाद संविधान संशोधन है।'लोजपा के नेता ने यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले के बाद पैदा हुए राजनीतिक तूफान के परिप्रेक्ष्य में की। कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि नियुक्तियों में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) को आरक्षण मुहैया कराने के लिए राज्य बाध्य नहीं हैं। प्रोन्नति में कोटा का दावा करना बुनियादी अधिकार नहीं है।

11 वर्ष बाद, लेकिन सही वक्त पर आए पुर्तगाल के राष्ट्रपति सौसा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- अगले वर्ष यूरोपीय संघ की अध्यक्षता करेगा पुर्तगाल
- सैन्य सहयोग बढ़ाएंगे दोनों देश, सात समझौतों पर हस्ताक्षर

तकरीबन 11 वर्षों बाद पुर्तगाल के राष्ट्रपति का भारत दौरा हुआ है, लेकिन यह बिल्कुल सही समय पर हुआ है। सही समय इसलिए, क्योंकि पुर्तगाल अगले वर्ष यूरोपीय संघ का मुखिया बनने वाला है। यूरोपीय संघ के साथ भारत के रिश्ते अभी जितने महत्वपूर्ण हो गए हैं, उसे देखते हुए पुर्तगाल के साथ रिश्तों में गर्माहट का अपना खास महत्व होगा। यूरोपीय संघ के साथ भारत को न सिर्फ नया कारोबारी समझौता करना है, बल्कि यूरोपीय संसद में पाकिस्तान समर्थक कुछ सांसदों की तरफ से कश्मीर के मुद्दे को उठाने की भी कोशिश हो रही है। ऐसे में शुक्रवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबोलो डी सौसा के बीच हुई बातचीत आगे चल कर अहम साबित होगी।

पुर्तगाल के राष्ट्रपति सौसा गुरुवार को भारत पहुंचे। शुक्रवार को पहले राष्ट्रपति भवन में उनका राजकीय सम्मान किया

नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सोसा से हाथ मिलाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रेट्र

गया। उसके बाद हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सौसा की अगुआई में आधिकारिक स्तर की बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों के बीच सात समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। ये समझौते निवेश, परिवहन, बंदरगाह, संस्कृति, औद्योगिक व बौद्धिक संपदा अधिकारों को लेकर हुए हैं। इसके पहले जून, 2017 में मोदी ने पुर्तगाल की यात्रा की थी। तब दोनों देशों के बीच 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे। उसके बाद दोनों के बीच लगातार संपर्क बना हुआ है।

पिछले वर्ष पुर्तगाल के पीएम ने भारत का दौरा किया था। भारत व पुर्तगाल के बीच नौ-परिवहन के क्षेत्र में सहयोग की अपार संभावनाओं को देखते हुए शुक्रवार को किया गया समझौता महत्वपूर्ण है। वैसे दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग की संभावनाओं पर भी बातचीत हो रही है। भारतीय कंपनी हिंदुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड और पुर्तगाली कंपनी सीआइआइए के बीच एक करार हुआ है। इसके तहत हल्के सैन्य वाहन बनाने में दोनों कंपनियां सहयोग करेंगी। मानव रहित ड्रोन बनाने में भी दोनों कंपनियां एक दूसरे की मदद करेंगी।

कार्ति चिदंबरम दस करोड़ रुपये जमा कराने के बाद जा सकेंगे विदेश

नई दिल्ली, आइएएनएस : भ्रष्टाचार मामलों में सीबीआइ और ईडी की जांच का सामना कर रहे कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट ने टेनिस टूर्नामेंट के लिए ब्रिटेन और फ्रांस जाने की सशर्त इजाजत देते हुए उन्हें कोर्ट रजिस्ट्री में दस करोड़ रुपये जमा कराने को कहा। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस बीआर गवई तथा जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने शुक्रवार को कार्ति को पूर्व की शर्तों के अनुपालन करने की शर्त पर 14-28 फरवरी तक विदेश यात्रा की अनुमति दी। कार्ति अपनी विदेश यात्रा की इजाजत के लिए शीर्ष अदालत पहुंचे थे।

मालूम हो कि आइएनएक्स मीडिया मामले में ईडी व सीबीआइ कार्ति से कई बार पूछताछ कर चुकी है। उन पर आरोप है कि 2007 में जब उनके पिता पी. चिदंबरम वित्त मंत्री थे, तब विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड से 305 करोड़ रुपये के निवेश की मंजूरी दिलाने में उनकी भूमिका थी। कोर्ट ने पिछले साल भी कार्ति को अमेरिका, स्पेन तथा जर्मनी जाने की अनुमति दी थी। इसके लिए तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कार्ति को बतौर जमानत 10 करोड़ रुपये जमा कराने को कहा था।

कश्मीर में भारत के कदमों को यूरोपीय संघ ने सराहा

नई दिल्ली, प्रेट्र : यूरोपीय संघ (ईयू) ने शुक्रवार को कहा कि भारत सरकार ने कश्मीर में हालात को सामान्य बनाने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाए हैं। ईयू ने यह माना है कि जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर चुनौतियां हैं और पाबंदियां हटाने की बात भी कही है। ईयू के इस बयान से कश्मीर को लेकर पाक का दुष्प्रचार एक बार फिर बेनकाब हो गया है।

ईयू का यह बयान 25 राजनयिकों के जम्मू-कश्मीर के दो दिन के दौरे के एक दिन बाद आया है। इस दल में ईयू के देश के राजनयिक भी शामिल थे। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के छह महीने बाद राजनयिकों का यह दल राज्य के जमीनी हालात का जायजा लेने गया था। राजनयिकों ने भारत सरकार की तरफ से राज्य में सामान्य हालात बहाल करने के लिए उठाए गए कदमों पर संतोष जताया और माना कि राज्य में सामान्य जिंदगी पटरी पर लौट आई है।

विदेशी मामलों व सुरक्षा नीति पर ईयू के प्रवक्ता वर्जिनी बट्टू-हेनरिकसन ने कहा, 'दौरे ने पुष्टि की है कि भारत सरकार ने सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए

- कहा, राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर चुनौतियां

सकारात्मक कदम उठाए हैं। कुछ प्रतिबंध खासकर इंटरनेट एक्सेस और मोबाइल सेवाओं पर बने हुए हैं और कुछ राजनीतिक नेता हिरासत में हैं।'प्रवक्ता ने कहा, 'हम सुरक्षा की गभीर चुनौतियों को मानते हैं, लेकिन पाबंदियों को हटाना भी अहम है। राजनयिकों के दौरे से जम्मू-कश्मीर के जमीनी हालात के बारे में जानने और वहां के लोगों से बातचीत करने का बेहतर मौका मिला। हम क्षेत्रीय हालात पर भारत के साथ संवाद जारी रखने को लेकर उत्साहित हैं।' पिछले महीने भी सरकार ने 15 राजनयिकों को जम्मू-कश्मीर भेजा था। दूसरे दौरे में 25 देशों के राजनयिकों ने जम्मू-कश्मीर का दौरा किया। इन देशों में अफगानिस्तान, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, कनाडा, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, डोमिनिक रिपब्लिक, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, गिनी, हंगरी, इटली, केन्या, किर्गिस्तान, मेक्सिको, नामिबिया, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, पोलैंड, रवांडा, स्लोवाकिया, ताजिकिस्तान, यूगांडा और उज्बेकिस्तान शामिल हैं।

आदेश का पालन न होने पर एनजीटी ने की रक्षा मंत्रालय की खिंचाई

नई दिल्ली, एएनआइ : पर्यावरणीय नियमों से संबंधित आदेश का पालन नहीं किए जाने पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने शुक्रवार को रक्षा मंत्रालय की खिंचाई की। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, 'बार- बार की विफलता को देखते हुए संबंधित संयुक्त सचिव पर कार्रवाई जरूरी हो गई है। इसमें वेतन अटैच करने समेत वारंट जारी किया जाना भी शामिल है। रक्षा मंत्रालय दो सप्ताह के भीतर संबंधित संयुक्त सचिव का नाम बताए।'

एनजीटी का आदेश रिटायर्ड एयर मार्शल अनिल चोपड़ा की अर्जी पर आया। एनजीटी ने आदेश में कहा था कि सैन्य हथियारों, घरेलू, औद्योगिक, जैविक, हॉस्पिटल तथा इलेक्ट्रॉनिक गतिविधियों से पैदा होने वाले कचरे का जनहित में वैज्ञानिक तरीके से निपटारा किया जाना चाहिए। एनजीटी ने रक्षा मंत्रालय से भी कहा था कि उसके विभिन्न प्रतिष्ठानों में पर्यावरणीय नियमों के पालन संबंधी स्थिति रिपोर्ट लेकर संबंधित संयुक्त सचिव हाजिर रहें। लेकिन अधिकारी की गैरहाजिरी पर नाराजगी जताते हुए अधिकरण ने मामले की सुनवाई दो मार्च को सूचीबद्ध कर दी।

भारत यात्रा के लिए उत्सुक हैं अमेरिकी राष्ट्रपति : वेल्स

वाशिंगटन, प्रेट्र : जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए भारत की यात्रा करेंगे, तो दोनों नेता स्वाभाविक सहयोग के लिए महत्वाकांक्षी विजन की रूपरेखा तैयार करेंगे। दक्षिण और मध्य एशिया के लिए सहायक अमेरिकी विदेश मंत्री एलिस जी वेल्स ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच विशेष संबंध हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप इस महत्वपूर्ण रिश्ते पर अपनी छाप छोड़ने के लिए भारत की यात्रा करने को उत्सुक हैं। उल्लेखनीय है कि मोदी के निमंत्रण पर ट्रंप 21, 22 फरवरी को राजकीय यात्रा पर भारत आएंगे। ट्रंप नई दिल्ली के अलावा अहमदाबाद भी जाएंगे, जहां वह हाल ही में बने स्टेडियम में मोदी के साथ आम सभा को संबोधित करेंगे।

अमेरिका में भारत के नए राजदूत तरणजीत सिंह संधू के स्वागत में अमेरिका-भारत व्यापार परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम में वेल्स ने कहा कि हम आपसी संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच रहे हैं। उन्होंने अमेरिकी कारोबारियों को याद दिलाया कि दो दशक पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत और अमेरिका को स्वाभाविक सहयोगी बताया था।

संधू ने भी राष्ट्रपति ट्रंप की आगामी भारत यात्रा को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि 10 दिनों के भीतर हम भारत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ऐतिहासिक यात्रा के गवाह बनेंगे। यह यात्रा सभी क्षेत्रों में हमारी साझेदारी को मजबूत बनाने में मदद करेगी।

अमेरिका पूरी करेगा भारत की ऊर्जा जरूरतें

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिका ने भारत की ऊर्जा जरूरतें पूरी करने की बात कही है। ट्रंप की भारत यात्रा से पहले उनके आर्थिक सलाहकार लैरी कुदलोव ने कहा कि उनका देश भारत की जरूरत के मुताबिक ऑयल और गैस सप्लाई करने के लिए तैयार है। दोनों देश कारोबारी रिश्तों को मजबूती देने के प्रयास में लगे हुए हैं। इससे पहले ट्रंप भी कह चुके हैं कि अच्छी डील मिलने पर वह भारत यात्रा के दौरान व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं।

पहल

विशेष मंत्रिमंडलीय समूह और कैबिनेट सचिवालय के अलावा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी निजी तौर पर लेते रहते हैं हालात का जायजा

समय पर व्यापक तैयारियों से कोरोना को रोकने में मिली सफलता

नीलू रंजन, नई दिल्ली

समय से उठाए गए कदमों और व्यापक व बारीकी से निगरानी के बल पर सरकार देश में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में सफल रही है। कोरोना वायरस से ग्रसित तीन मरीजों की पहचान केरल में की गई थी। उनमें से एक को पूरी तरह ठीक होने के बाद गुरुवार को घर भेज दिया गया है। हालात यह है कि स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन हर दिन राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ-साथ जहाजरानी, विदेश, नागरिक उड्डयन और पर्यटन मंत्रालय के सचिवों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये ताजा हालात की जानकारी लेती हैं। विशेष मंत्रिमंडलीय समूह और कैबिनेट सचिवालय के अलावा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी निजी तौर पर हालात का जायजा लेते रहते हैं।

कोरोना वायरस को लेकर सरकार की संवेदनशीलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने 17 जनवरी को ही चीन के लिए यात्रा एडवाइजरी

हवाईअड्डे पर थर्मल स्क्रीनिंग की है व्यवस्था। फाइल

कर दी थी। साथ ही चीन से होकर आने यात्रियों के लिए एयरपोर्ट पर ही थर्मल स्क्रीनिंग के साथ ही उन पर लगातार नजर रखने की व्यवस्था की गई। दूसरे देशों में कोरोना वायरस के मरीजों के फैलने के मद्देनजर यात्रियों की अनिवार्य स्क्रीनिंग को ताइवान, दक्षिण कोरिया, कंबोडिया, जापान, हांगकांग जैसे देशों तक बढ़ा दिया गया। चीन के वुहान शहर से मालदीव के सात नागरिकों समेत 645 लोगों को भारत लाकर अलग-थलग रखने का इंतजाम किया गया। 13-14 दिन बीत जाने के बावजूद इनमें किसी में वायरस के संक्रमण के संकेत नहीं मिले हैं। 18 फरवरी को अंतिम जांच के बाद इन्हें 20 फरवरी को घर जाने की इजाजत दे दी जा सकती है। इन तैयारियों की समीक्षा के लिए स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के नेतृत्व में एक जीओएम का गठन भी किया गया है, जिसकी दो बैठक हो चुकी है। इसमें विदेश, जहाजरानी, नागरिक उड्डयन, गृह राज्यमंत्री और पर्यटन मंत्री शामिल हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उनकी सबसे बड़ी चुनौती केरल में तीन कोरोना वायरस पीड़ित मरीजों के मिलने के बाद इसे फैलने से रोकने की थी। इसके लिए न सिर्फ उन तीन मरीजों को अलग-थलग वार्ड में रखकर इलाज शुरू किया गया, बल्कि वे जिन-जिन लोगों के संपर्क में आए थे, उन्हे ढूंढ कर विशेष निगरानी में रखा गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार तीन में एक व्यक्ति पूरी तरह ठीक हो चुका है और गुरुवार को उसे घर भेज दिया गया है।

केरल में कोरोना पीड़ित मरीजों के अलावा भारत की दूसरी सबसे बड़ी चिंता नेपाल में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत से पैदा हुई। नेपाल के साथ खुली सीमा और हर दिन हजारों लोगों के इसके आर-पार जाने के कारण हर व्यक्ति की स्क्रीनिंग संभव नहीं थी। वैसे तो सभी नेपाल सीमा पर सभी चेकपोस्ट पर स्क्रीनिंग की जा रही है। इसके साथ ही नेपाल सीमा से सटे राज्यों के सभी गांवों में ग्राम सभाओं को नेपाल से आने-जाने वाले हर व्यक्ति की जानकारी साझा करने की जिम्मेदारी दी गई है।

पूरे देश के हालात की केंद्रीय मॉनिटरिंग का भी मुकम्मल इंतजाम किया गया है। इसके लिए विशेष पोर्टल बनाया गया है, जिनमें सभी राज्य हर दिन कोरोना वायरस से संबंधित सभी गतिविधियों को साझा करते हैं। सभी राज्यों को कोरोन वायरस के अचानक फैलने की स्थिति में मास्क, ग्लव्स, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान का पर्याप्त भंडार रखने को कहा गया है और इसे सुनिश्चित भी किया जा रहा है।

कह के रहेंगे माधव जोशी